राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

शुद्धि पत्र संख्या – 12/2015–16

दिनांक : 15–10–2015

आयोग के विज्ञापन संख्या 7/2014–15 दिनांक 12.01.2015 के तहत् विभिन्न विषयों में लेक्चरर के पद विज्ञापित किये गये थे। शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(6)डीओपी/ए–।।/84 दिनांक 28.07.2015 के द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है :–

1 उक्त विज्ञापन के अन्तर्गत वर्णित **चयन प्रक्रिया** को अब निम्नानुसार पढ़ा जावे :–

''उक्त पद लिखित प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से भरे जाएंगे। लिखित परीक्षा में तीन प्रश्न पत्र होंगे जो कि क्रमशः 75, 75 एवं 50 अंक के होंगे। साक्षात्कार 24 अंकों का होगा।

आयोग ऐसे किसी अभ्यर्थी की सिफारिश नहीं करेगा जो किसी भी लिखित प्रश्नपत्र और साक्षात्कार में उपस्थित होने में विफल रहा है। अभ्यर्थियों का चयन परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर किया जाएगा।

रिक्तियों (प्रवर्गवार) की कुल संख्या के तीन गुने की सीमा तक ऐसे अभ्यर्थियों को, जो लिखित परीक्षा में इतने अर्हक अंक प्राप्त करते हैं जो आयोग द्वारा नियत किये जायें, साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

उक्त पदों हेतु परीक्षा अजमेर में आयोजित किये जाने की संभावना है। आयोग अपने स्वविवेक से परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन भी कर सकता है। परीक्षा तिथि की घोषणा यथा समय कर दी जाएगी।''

2 विभाग से फारसी विषय की नवीन अर्थना प्राप्त होने एवं विज्ञापित पदों के कतिपय विषयों में रिक्त पदों की संख्या संशोधित किये जाने के कारण अब रिक्त पदों की विषयवार संख्या निम्न प्रकार है **(पदों का वर्गवार वर्गीकरण शीघ्र ही आयोग की वेब–साईट पर जारी कर दिया जाएगा)**:–

क्र. सं.	विषय	कुल पद	क्र. सं.	विषय	कुल पद	क्र. सं.	विषय	कुल पद	क्र. सं.	विषय	कुल पद
1	अर्थशास्त्र	47	9	मनोविज्ञान	3	17	कम्प्यूटर विज्ञान (विज्ञान संकाय)	8	25	चित्रकला	8
2	अंग्रेजी साहित्य	93	10	लोक प्रशासन	18	18	गणित	45	26	विधि	86
3	भूगोल	100	11	संस्कृत	67	19	भौतिक शास्त्र	61	27	संगीत (वाद्य)	1
4	हिन्दी साहित्य	69	12	सिन्धी	1	20	प्राणी शास्त्र	83	28	संगीत (कण्ठ)	8
5	इतिहास	94	13	समाजशास्त्र	37	21	लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी (ABST)	45	29	फारसी	1
6	पुस्तकालय विज्ञान	1	14	उर्दू	22	22	आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध (EAFM)	69			
7	दर्शन शास्त्र	10	15	वनस्पति शास्त्र	74	23	वस्त्र की रंगाई व छपाई (कला संकाय)	1			
8	राजनीति विज्ञान	94	16	रसायन शास्त्र	97	24	भू–गर्भ शास्त्र	5			

3 लेक्चरर–फारसी हेतु वांछित शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन संख्या 07/भर्ती/2014–2015 दिनांक 12.01.2015 के अन्तर्गत वर्णित पद क्रम संख्या 1 से 26 के अनुसार होगी।

4 विज्ञापन संख्या 07/भर्ती/2014–15 दिनांक 12.01.2015 के अन्तर्गत शैक्षणिक योग्यता में अंकित अभिव्यक्ति **''पद क्रम संख्या 1 से 28 के लिए'' को अभिव्यक्ति ''पद क्रम संख्या 1 से 29 के लिए'' पढ़ा जावे।**

5 **परीक्षा योजना एवं प्रश्न पत्र की योजना शीघ्र ही आयोग की वेब–साईट पर जारी कर दी जाएगी। उक्त पदों हेतु परीक्षा ऑनलाईन/ऑफलाईन रूप में ली जा सकती है।**

6 विज्ञापन के अन्तर्गत अन्य विवरण के कॉलम में वर्णित अभिव्यक्ति **''संवीक्षा परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम'' एवं उसके सम्मुख अंकित अभिव्यक्ति में जहां कहीं अभिव्यक्ति ''संवीक्षा'' अंकित है, को विलोपित समझा जावे।**

7 शासन की उक्त अधिसूचना में किए गए संशोधनों एवं कतिपय विषयों की पद संख्या में संशोधन होने के फलस्वरूप उक्त पदों हेतु **ऑन लाईन आवेदन की दिनांक 31.03.2015 से बढ़ाकर अब 16.11.2015 (रात्रि 12.00 बजे) तक की जाती है, इसके पश्चात् लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।**

8 पूर्व में आवेदन कर चुके आवेदकों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

9 यदि कोई आवेदक नवीन परीक्षा योजना के कारण अपना आवेदन पत्र वापस लेना चाहता है तो ऑनलाईन आवेदन की प्रति, आई.डी. प्रूफ संलग्न करते हुए बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, पता तथा IFSC Code अंकित करते हुए **दिनांक 16.11.2015 तक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

10 **विज्ञापन की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।**

नोट :– शासन के कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28.07.2015, जिसके अन्तर्गत उक्त सेवा नियमों में संशोधन कर लेक्चरर पद पर भर्ती हेतु जो नवीन परीक्षा की योजना प्रतिपादित की गई है, का अवलोकन अभ्यर्थी कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार की वेब–साईट पर कर सकते हैं।

(भगवत सिंह राठोड़)
सचिव

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

–: प्रेस–विज्ञप्ति :–

दिनांक :– 27.03.2015

आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 7/भर्ती/2014–15 दिनांक 12.01.2015 के तहत् विज्ञापित कॉलेज शिक्षा विभाग हेतु विभिन्न विषयों में लेक्चचर के पदों हेतु **ऑन–लाईन आवेदन की अंतिम दिनांक 26.03.2015 से बढ़ाकर अब दिनांक 31.03.2015 (रात्रि 12.00 बजे)** की जाती है। इसके पश्चात् लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।

(नरेश कुमार ठकराल)
सचिव

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

–: प्रेस–विज्ञप्ति :–

दिनांक :–25.02.2015

आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 7/भर्ती/2014–15 दिनांक 12.01.2015 के तहत् विज्ञापित कॉलेज शिक्षा विभाग हेतु विभिन्न विषयों में लेक्चचर के पदों हेतु **ऑन–लाईन आवेदन की अंतिम दिनांक 27.02.2015 से बढ़ाकर अब दिनांक 26.03.2015 (रात्रि 12.00 बजे)** की जाती है। इसके पश्चात् लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।

(भगवत सिंह राठौड़)
उप सचिव

विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या : 07/2014–15

विज्ञापन संख्या :– संयुक्त विज्ञापन संख्या– 07/भर्ती/2014–15
दिनांक : 12.01.2015

1. आयोग द्वारा निम्नलिखित पदों हेतु ऑन–लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :–

कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए विभिन्न विषयों में लेक्चरर (Lecturer) के पदों की राजस्थान शिक्षा सेवा नियम (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 के अन्तर्गत भर्ती। पद स्थाई/अस्थाई – स्थाई होने की संभावना। कुल रिक्त पदों की संख्या निम्न प्रकार है :– (पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है)

पद क्रम सं.	पद का नाम	कुल पदों की संख्या	सामान्य वर्ग				आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)														
							अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				पिछड़ा वर्ग				विशेष पिछड़ा वर्ग	विशेष योग्यजन
			सा.	महिला			सा.	महिला			सा.	महिला			सा.	महिला				
				सा.	वि.	परि.		सा.	वि.	परि.		सा.	वि.	परि.		सा.	वि.	परि.		
1	अर्थशास्त्र	36	13	4	1	-	5 1 पद बैकलॉग का है	2	-	-	5 3 पद बैकलॉग के हैं	2	-	-	3	1	-	-	-	1BLA, 1 OL
2	अंग्रजी साहित्य	93	12	3	1	-	30 27 पद बैकलॉग के है	9	3	-	23 21 पद बैकलॉग के है	7	2	-	3	-	-	-	-	2 B/LV, 2BLA, 1 OL
3	भूगोल	87	38	11	4	1	7	3	-	-	7	3	-	-	10	2	1	-	-	1 B/LV, 1BLA, 1 OL
4	हिन्दी साहित्य	59	18	5	2	-	14 10 पद के बैकलॉग है	4	1	-	7 02 पद बैकलॉग के है	2	-	-	5	1	-	-	-	1 B/LV, 1BLA, 1 OL
5	इतिहास	84	31	10	3	-	12 03 पद बैकलॉग के है	4	1	-	9 02 पद बैकलॉग के है	3	-	-	8	3	-	-	-	1 B/LV, 1BLA, 1 OL
6	पुस्तकालय विज्ञान	01	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 B/LV
7	दर्शन शास्त्र	8	5	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1 B/LV
8	राजनीति विज्ञान	94	38	10	4	1	10	2	1	-	11 03 पद बैकलॉग के है	3	1	-	10	2	1	-	-	1 B/LV, 1BLA, 1 OL
9	मनोविज्ञान	3	1	-	-	-	1	-	-	-	1 01 पद बैकलॉग का है	-	-	-	-	-	-	-	-	1 B/LV
10	लोक प्रशासन	15	8	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1BLA
11	संस्कृत	64	27	8	3	-	8 1 पद बैकलॉग का है	3	-	-	5	2	-	-	6	2	-	-	-	1BLA, 1 OL
12	सिन्धी	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 B/LV
13	समाजशास्त्र	30	10	3	1	-	6 4 पद बैकलॉग के है	2	-	-	4 1 पद बैकलॉग का है	1	-	-	3	-	-	-	-	1 B/LV, 1BLA
14	उर्दू	22	8	3	-	-	5 2 पद बैकलॉग के है	1	-	-	3 1 पद बैकलॉग का है	1	-	-	1	-	-	-	-	1 B/LV
15	वनस्पति शास्त्र	66	24	7	2	-	12 5 पद बैकलॉग के है	3	1	-	7 3 पद बैकलॉग के है	3	-	-	5	2	-	-	-	2 OA, 1BLA, 1 OL
16	रसायन शास्त्र	75	26	8	2	-	12 5 पद बैकलॉग के है	4	1	-	10 4 पद बैकलॉग के है	2	1	-	7	2	-	-	-	1 OA, 1BLA, 1 OL
17	कम्प्यूटर विज्ञान (विज्ञान संकाय)	8	4	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1 OA
18	गणित	44	4	1			15 14 पद बैकलॉग के है	5	1		12 12 पद बैकलॉग के है	4	1	-	1	-	-	-	-	1 OA, 1BLA
19	भौतिक शास्त्र	60	14	4	1	-	12 8 पद बैकलॉग के है	4	1	-	14 12 पद बैकलॉग के है	4	1	-	4	1	-	-	-	1 OA, 1BLA, 1 OL
20	प्राणी शास्त्र	70	23	7	2	-	9	3	-	-	14 11 पद बैकलॉग के है	4	1	-	5	2	-	-	-	1 OA, 1BLA, 1 OL
21	लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी	20	-	-	-	-	7 9 पद बैकलॉग के है	2	-	-	8 11 पद बैकलॉग के है	3	-	-	-	-	-	-	-	1BLA, 1 OL
22	आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध	27	-	-	-	-	10 11 पद बैकलॉग के है	2	1	-	10 13 पद बैकलॉग के है	3	1	-	-	-	-	-	-	1BLA, 1 OL
23	वस्त्र की रंगाई व छपाई (कला संकाय)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 OA
24	भू–गर्भ शास्त्र	4	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 OA
25	चित्रकला	8	3	1	-	-	2 1 पद बैकलॉग का है	-	-	-	2 1 पद बैकलॉग का है	-	-	-	-	-	-	-	-	1 B/LV

पद क्रम सं.	पद का नाम	कुल पदों की संख्या	सामान्य वर्ग				आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)													
							अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				पिछड़ा वर्ग				विशेष पिछड़ा वर्ग	विशेष योग्यजन
			सा.	महिला			सा.	महिला			सा.	महिला			सा.	महिला				
				सा.	वि.	परि.		सा.	वि.	परि.		सा.	वि.	परि.		सा.	वि.	परि.		
26	विधि	82	38	11	4	1	6	2	-	-	5	1	-	-	10	3	1	-	-	1 B/LV, 1BLA, 1 OL, 1 OA
27	संगीत (वाद्य)	1	-	-	-	-	1 1 पद बैकलॉग का है	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 B/LV
28	संगत (कंठ)	7	1	-	-	-	2 1 पद बैकलॉग का है	-	-	-	3 3 पद बैकलॉग के है	1	-	-	-	-	-	-	-	1 B/LV
बैकलॉग दर्शाए गए सभी पद दिनांक 10.10.2002 के पश्चात् के हैं।																				

1. 1. शैक्षणिक योग्यताएं :– (पद क्रम संख्या 1 से 26 तक के लिए)

(As laid down in the Gazette of India, September 18,2010)

4.4.1. Arts, Humanities, Sciences, Social Sciences, Commerce, Education, Languages, Law, Journalism and Mass Communication

i Good academic record as defined by the concerned university with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the Master's Degree level in a relevant subject from an Indian University or an equivalent degree from an accredited foreign university.

ii Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET.

iii Notwithstanding anything contained in sub-clauses (i) and (ii) to this Clause 4.4.1. candidates, who are, or have been awarded a Ph.D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities/Colleges/Institutions.

iv NET/SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET is not conducted.

पद क्रम संख्या 27 एवं 28 के लिए

(As laid down in the Gazette of India, september 18,2010)

4.4.2. MUSIC, PERFORMING ARTS, VISUAL ARTS AND OTHER TRADITIONAL INDIAN ART FORMS LIKE SCULPTURE ETC.

4.4.2.1 MUSIC AND DANCE DISCIPLINE

i Good academic record with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the Master's Degree level, in the relevant subject or an equivalent degree from an Indian/Foreign University.

ii Besides fulfilling the above qualifications, candidates must have cleared the National Eligibility Test (NET) for lecturers conducted by the UGC, CSIR, or similar test accredited by the UGC.

iii Notwithstanding anything contained in the sub-clauses (i) and (ii) to this Clause 4.4.2.1, candidates, who are, or have been awarded Ph.D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities/Colleges/Institutions.

iv NET/SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET is not conducted.

OR

i. A traditional and a professional artist with highly commendable professional achievement in the concerned subject, who should have:

(a) Studied under noted/reputed traditional masters and has thorough knowledge to explain the subject concerned.

(b) A high grade artist of AIR/TV; and

(c) Ability to explain the logical reasoning of the subject concerned and adequate knowledge to teach theory with illustrations in that discipline.

पद क्रम संख्या 01 से 28 के लिए

परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय विश्वविद्यालय द्वारा पीएच.डी. की उपाधि प्रदान कर दिये जाने का अस्थाई प्रमाण पत्र (Provisional Certificate) प्रस्तुत करना होगा। यदि आवेदक पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसे NET/SLET/SET पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए अन्यथा वह अपात्र माना जाएगा।

Definition of Good Academic Record (For all subjects/posts) : Good academic record means an average of at least 55% marks in 3 examinations preceding to Master's degree with at least 50% marks in graduation and any one of the Secondary/High School, Hr. Secondary/Sr. Secondary or equivalent grades in the point scale wherever grading system is followed without including any grace marks and/or rounding off to make it 55% or 50% as the case may be.

विशेष नोट :–

(1) राजस्थान लोक सेवा आयोग की राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (SLET/SET) उत्तीर्ण मान्य है।

(2) 1 जून, 2002 से पूर्व किसी भी प्रदेश से SLET/SET उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होगा।

(3) 01 जून, 2002 को या उसके पश्चात् अन्य प्रदेश द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा (SLET/SET) इन पदों हेतु मान्य नहीं होगी।

2. सभी पदों हेतु अनिवार्य योग्यता :– देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

सभी पदों के लिए :–

निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को उपरोक्त अर्हता में निम्नानुसार छूट होगी :–

(अ) अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर परीक्षा में 5 प्रतिशत की छूट देकर 55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत।

(ब) दिनांक 19.09.1991 से पूर्व स्नातकोत्तर स्तर की डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों को पीएच.डी. उपाधि धारण करने पर स्नातकोत्तर स्तर में 5 प्रतिशत की छूट देकर 55 से 50 प्रतिशत।

(स) निःशक्तजन के अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर परीक्षा में 5 प्रतिशत की छूट देकर 55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत।

रनिंग पे–बैण्ड	**उपरोक्त सभी विषय पदों हेतु – रू. 15600 – 39100 (ग्रेड पे – 6000)**
आयु	**उपरोक्त सभी विषय पदों हेतु** – दिनांक 01–07–2015 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष से कम। ।

आयु सीमा में छूट

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग		अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष		5
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला		10
3.	सामान्य वर्ग की महिला		5
4.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला		अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	निःशक्तजन	सामान्य	10
		पिछड़ा/विशेष पिछड़ा वर्ग	13
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	15
	नोट :– राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 39 में प्रावधान इस प्रकार है:– "Provided that in cases of exceptional hardship the State Government may further relax the age limit.		

अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट

1	**भूतपूर्व कैदी** जो दण्डित होने से पूर्व इस राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रुप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
2	**अन्य भूतपूर्व कैदी** जो दण्डित होने से पूर्व अधिकायु नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले मे कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
3	इस सेवा के किसी पद पर **अस्थाई नियुक्त व्यक्ति** अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जावेंगे।
4.	**सरकार के शिक्षा विभाग और पंचायत समितियों के अधिष्ठायी अध्यापकों के मामले में तीन अवसरों की सीमा के अध्याधीन रहते हुए 15 वर्ष तक की छूट दी जायेगी।**
5.	**राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (सब्स्टेन्टिव)** रुप से सेवारत व्यक्तियों के मामलों में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
6.	**पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/निगमों** के कार्यकलापों के संबंध में संस्थाई रुप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
7.	**रिजर्विस्ट अर्थात् प्रतिरक्षा सेवा के कर्मचारी जिनका रिजर्व में स्थानान्तरण कर दिया गया हो, के मामले में अधिकतम् आयु सीमा 50 वर्ष होगी।**
8.	**भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या डाक्टरेट साथ में किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय की उपाधि और/या स्नातकोत्तर कक्षाओं का 5 वर्ष का अध्यापन का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में तीन अवसरों के अध्याधीन रहते हुए 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।**
9.	**पूर्णकालिक विधि व्याख्याता के पद पर भर्ती के लिए आयु सीमा 40 वर्ष होगी।**

नोट –

(1) उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(2) ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ शासन से प्राप्त पदों के वर्गीकरण (Category wise)के अनुसार ही देय होगा अर्थात् अगर किसी वर्ग (Category) के लिए कोई पद आरक्षित नहीं होगा तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयु सीमा में तत्सम्बन्धी छूट का लाभ देय नहीं होगा।

(3) राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ. 7/6/कार्मिक/ए–II/2008 दिनांक–23.09.2008 के क्रम में जारी अधिसूचना के अनुसार"जिस भर्ती की वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नही हुई हो और यदि कोई अभ्यर्थी उस वर्ष की आयु की दृष्टि से पात्र था, तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छूट तीन वर्ष से अधिक नही दी जाएगी।"

*ये पद आयोग द्वारा **वर्ष 2010** अथवा उससे पूर्व में विज्ञापित किये गये थे। तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया था। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23–09–2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.07.2015 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में **तीन वर्ष की छूट** देय होगी।*

अन्य विवरण

शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के **अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला** व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित **साक्षात्कार से पूर्व** शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। **स्पष्टीकरणः**– उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे, जो आवेदक **आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक** पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे।
चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। यदि विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होगी तो आयोग संवीक्षा परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों की संख्या यथोचित सीमा तक कम कर सकता है। संवीक्षा परीक्षा अजमेर में आयोजित किये जाने की संभावना है। आयोग अपने स्वविवेक से परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन भी कर सकता है। संवीक्षा परीक्षा तिथि की घोषणा यथा समय कर दी जाएगी।
संवीक्षा परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	यह संवीक्षा परीक्षा वस्तुनिष्ठ लिखित रूप में ली जायेगी। **सभी प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।** विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट पर शीघ्र ही जारी कर दिये जाएंगे।
आवेदन अवधि	**दिनांक 19–01–2015 से दिनांक 27–02–2015** रात्रि **12–00** बजे तक

(आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी। इस प्रकार संबंधित सेवा नियमों में यदि कोई संशोधन होता है, तो भर्ती/संवीक्षा परीक्षा उसके अनुसार आयोजित की जाएगी, जिसके लिए यथासमय अधिसूचित कर दिया जाएगा।)

विशेष सूचना :– ''यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 30 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क देकर Online/Offline संशोधन कर/करवा सकता है। आवेदन पत्र में संशोधन एवं विकलांग/विधवा के वर्ग में संशोधन के संबंध में आयोग की वेब–साईट पर उपलब्ध Instruction for Applicants में अभ्यर्थियों के लिए आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा निर्देश के तहत् आवेदन प्रक्रिया संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश के बिन्दु संख्या 7 'ऑन लाईन आवेदन संशोधन की प्रक्रिया' एवं Guidelines for Edit Application का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें एवं उक्त निर्देशों में अंकित अंतिम दिनांक तक ही संशोधन स्वीकार्य होंगे इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।''

अन्य बिन्दु व सूचना :– परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर **दिनांक 01.01.14** को जारी **परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश** तथा **सम्बन्धित सेवा नियमों** का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त समय–समय पर जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट **http://www.rpsc.rajasthan.gov.in** या **http://rpsconline.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **दूरभाष सं.– 0145–5151212 एवं 5151200** पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(नरेश कुमार ठकराल)
सचिव